न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम	
	मु०नं० ०४/15 तारीख रजू 3.2.15	
	उनवान – मिश्रीलाल बनाम जयफूल प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी की ओर से श्री मदन मोहन शर्मा Adv. ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस से तलब कर दिनांक 16.2.15 को पेश हो। उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)	04.92 / 3.2.15
16.2.15	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी नं। ता० 4 की ओर श्री सुनील कुमार जिन्दल Adv ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं 5 के सम्मन वापिस प्राप्त नही हुए है। पुनः प्रतिवादी नं 5 के सम्मन जेर तामील करे। पत्रावली दिनांक 13.3.15 को पेश हो।	
13.3.15	वकलाय उप०। प्रतिवादी नं. 5 बावजूद सूचना उपस्थित नही हो एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं प्रतिवादी नं। ता. 4 का जवाब पेश करने समय चाहा दिया गया। वास्ते जवाबदावा प्रति नं. 1 ता. 4 दिनांक 6.4.15 को पेश हो।	

मिश्री लाल

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभी[illegible]

दिनांक	फर्द अहकाम
6.4.15	वकुलाय उप./ जवाब पेश नहीं किया वकील प्रार्थी ने एतराज किया/ वकील अप्रार्थी को आगामी सुनवाई तिथि पर जवाब पेश करने की हिदायत की। दि० 16.4.15 को पेश हो।
16.4.15	वकुलाय उप./ जवाब पेश किया/ नकल जवाब प्रार्थी वकील को दिलाई गई/ वास्ते बहस दि० 27.4.15 को पेश हो।
27/4/15	वकुलाय उपस्थित / PO साहब अवकाश पर पधारे हैं। आज्ञानुसार दिनांक 6.5.15 को पेश हो।
6.5.15	वकुलाय उपस्थित/ बहस सुनी गई/ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम खोहरा की भूमि ख.नं. 91 रकबा 8 एयर मे० चाह मे सायल 1/30 हिस्सा का खातेदार हिस्सेदार है/ प्रतिवादी नं.1 जयफूल बहिस्सा 1/54 हिस्से का हिस्सेदार है किन्तु जयफूल अपने हिस्से के अलावा 8 एयर भूमि को अपने खाते की भूमि मे मिलाना चाहता है यह भूमि कुआ की आगवायन है यह भी सभी खातेदारो की है। इसमें अन्य

यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम 2

फर्द अहकाम

खातेदारो को दावा में बेखातेदार के लिए प्रतिवादी बनाया है। इसलिए गैरसायलान को दावा फैसला होने तक पाबंद फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि ख.नं. 991 रकबा 0.08 है० मे गैरसायल नं.1 का हिस्सा 1/54 है हिस्सेदार होने का नाजायज फायदा उठाकर गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा पेश कर कुए की आगवायन की जमीन को हड़पना चाहता है इस मे अन्य बहुत सारे खातेदार हिस्सेदार है वादीगण ने समस्त खातेदारो को पाबंद करने का प्रार्थना पत्र पेश नही किया है। गैरसायलान सहखातेदार है, सहखातेदार को पाबंद भी नही किया जा सकता है अतः प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमाया जावे। बहस वकील पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित भूमि कुए की आगवायन है जिसकी सम्मिलित भूमि है सायल का 1/30 हिस्सा व गैरसायल नं.1 का 1/54 हिस्सा है जो कि बहुत ही कम भूमि होती है जिस पर पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रा० के साथ संलग्न रहे।

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

मिरमा लाल